

26/11/17

पत्रावली देखी हुई वकील  
काफी उपर/ अर्काबुल्ल कानून  
दिनांक 09/03/18 को देखें

12/3/18

9/11 तक अर्काबुल्ल अर्काबुल्ल  
कानून द्वारा  
कानून द्वारा  
दिनांक 24/5/18 को देखें

18.6.18

पत्रावली के न्याय अर्काबुल्ल  
द्वारा भागीदार में देखा हुआ  
पत्रावली का लोक अदालत की  
भावना से अर्काबुल्ल किमा शुभ्रा  
आदिनांक तक नहीं होगी  
के कारण लोक अदालत की भागीदार  
को हथकड़ी में रखने हुए बाद  
को C.P.C की धारा 09 RS के तहत  
स्वारीत किमा जाता है। पत्रावली फौज  
गुमार होकर फौज न्याय अर्काबुल्ल  
है। बाद में फौज अर्काबुल्ल है

अर्काबुल्ल अधिकारी  
अर्काबुल्ल